IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA

UNDER SECTION 215 C.N.T. Act
NATURE OF CASE S.A.R. Appeal No. 14/2017-18
NAME OF PARTIES Golu Singh @ Chakradhari Singh -v/s- Rango Gagarai

Sl No & Date of order	Order	Note of action taker order with date
16.9.22 13/04/2023	यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा 29.01.2018 को एस० ए० आर० केस सं०–03/15–16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध जो कि एस० ए० आर० की धारा 71 (A) में पारित आदेश की विरूद्ध धारा 215 (5) छोटानागपुर काश्त कारी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। इस अपील में निम्न अदालत अभिलेख मांगा गया तथा उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया उत्तरवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आपत्ति आवेदन दिनांक 25.09.2018 को दाखिल किया गया। इस अपील में दिनांक 08.08.22 को प्रथम पक्ष/अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सका, द्वितीय पक्ष की सुनवाई किया गया। प्रथम पक्ष को सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 16.08.2022 को पूर्ण रूप से सुनवाई किया गया। दिनांक 22.08.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया। दिनांक 22.08.2022 को उत्तरावादी द्वारा लिखित बहस दिया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से कोई लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। फिर भी अपीलकर्त्ता को 01.09.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। फिर भी अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 01.09.2022 को लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। अतः अपील को आदेशार्थ रखा गया। अपीलकर्त्ता के विद् अधिवक्ता का तर्क यह है कि विवादित जमीन थाना नं0–68, खाता सं०– 96, प्लॉट सं०–28, रकवा–0.2500 मौजा– चक्रधरपुर को प्रमा देवी द्वारा रेजिस्टर्ड केवाला 468/388, दिनांक 12.03.1987 द्वारा खरीदा गया था। प्रमा देवी उक्त जमीन पर 12.03.1987 से अपना पक्का घर बना कर रही है। जो कि 30 (तीस) वर्ष से उपर का है तथा धारा 71(A) इस पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्त्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन की मालकीन प्रमा देवी है तथा एस० ए० आर० केस अपीलकर्त्ता पर गलत रूप से किया गया है। जमीन खाली करने का आदेश प्रमा देवी पर लागू नहीं होता है तथा निम्न अदालत द्वारा उक्त वाद में उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। यह जानते हुए भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 पूर्णतया गैर कानूनी है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के आदेश दिनांक 08.12.2017 को खारिज किया जाय। दूसरी ओर उत्तरवादी के विद् अधिवक्ता को यह कथन है कि जमीन उत्तरवादी रेंगो गागराई के पूर्वज बाबू हो के नाम से खतियान में दर्ज है। 1973 का सर्वे खतियान अविवादित एवं मान्य दस्तावेज है। चूंकि सर्वे खतियान को किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति या तकरार नहीं किया गया। यह कानून अविवादित है कि आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि यह जमीन अपीलकर्त्ता की पत्नी द्वारा 1987 में खरीदा गया है। यह सिद्ध होता है कि उसके पूर्व उनका उपरोक्त जमीन	

Sl No & Date of order	Order	action taken order with date

पर कोई दखल नहीं था। अपीलकर्त्ता का यह तर्क है कि उस पर भवन निर्माण है तथा जमीन का स्वरूप बदल गया है, कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है।

मेरे द्वारा निम्न अदालत में पारित आदेश तथा अभिलेख का अवलोकन ध्यान पूर्वक किया गया है। निम्न अदालत का तथ्य है कि बाबू हो नाबालिक का धर्म पिता बनकर शेख महबूब द्वारा हस्तांतरण पूर्णतया प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है मेरे विचार से सही प्रतीत होता है। आदेश की अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के आदेश दिनांक 08.12.2017 विधि सम्मत है और उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या परिवर्तन अनाक्षेपित है। अतः अपील को खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.12.2017 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित।

उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 266(B)/विधि०, दिनांक 24/02/23

प्रतिलिपिः— निदेशानुसार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को एस०ए०आर० केस संख्या— 03/ 2015–16 अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— निदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/23

उपसमाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.04.08 11:56:47 +05:30
Location: 10.93.69.133